

प्रेस नोट

थाना बहरिया जनपद प्रयागराज दिनांक- 11/04/2021

श्रीमान् पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के आदेश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के सम्बन्ध में आदर्श आचार संहिता प्रचलित कोविड- 19 के दृष्टिगत धारा -144 CrPC के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गंगापार महोदय के निकट निर्देशन एवं श्रीमान् क्षेत्राधिकारी फूलपुर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण तथा मुझ प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार थाना बहरिया के कुशल नेतृत्व में टीम शुभनाथ साहनी मय हमराह हे0का0 राजेश, का0 चन्द्रवीर , का0 नन्दलाल ,का0 जावेद सिद्दिकी व म0का0 सुमन यादव के द्वारा मु0अ0सं0 70/21 धारा 171च/188/269/270 भादवि0 तथा मु0अ0सं0- 71/21 धारा 188/171च भादवि0

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 10.04.21 को मै मुझ प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार थाना बहरिया के कुशल नेतृत्व में टीम शुभनाथ साहनी मय हमराह हे0का0 राजेश, का0 चन्द्रवीर , का0 नन्दलाल ,का0 जावेद सिद्दिकी व म0का0 सुमन यादव के थाना हाजा से प्रस्थान कर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत मतदान केन्द्रों के भ्रमण/ आचार संहिता के अनुपालन कराये जाने के दृष्टिगत सिकन्दरा व बीरभानपुर गांव में भ्रमणशील था सिकन्दरा बाजार की तरफ से एक टवेरा वाहन सं0 MH43D7746 आती दिखाई दी जिसमें बैठा हुआ चालक आने जाने वाले अपने पक्ष में मतदान करने हेतु तरह-तरह के प्रलोभन देता हुआ। उक्त प्रधान प्रत्याशी के नाम व चुनाव चिन्हयुक्त पोस्टर बैनर देते हुए आ रहा था। जिनके विरुद्ध मु0अ0सं0 71/21 धारा 171च/188 भादवि0 बनाम टवेरा वाहन संख्या- MH43D7746 चालक शिवम सिंह पुत्र मनोज सिंह निवासी तुलापुर थाना बहरिया प्रयागराज 2. श्रीमती शोभा सिंह पत्नी राजकुमार सिंह निवासी ग्राम तुलापुर थाना बहरिया प्रयागराज पंजीकृत किया गया। टवेरा के चालक शिवम सिंह पुत्र मनोज सिंह निवासी तुलापुर थाना बहरिया प्रयागराज को दिनांक0 10.04.21 को 20.00 गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शिवम सिंह को जमानत मुललके पर रिहा किया गया। तथा ग्राम बीरभानपुर तिराहे पर हम पुलिस वालों द्वारा समय 23.00 बजे पहुंच कर चेक किया जा रहा था चुनाव प्रचार में लगे वाहन चालक पुलिस वालों को देखकर अपने-अपने वाहनों को तिराहे पर ही छोड़कर हट बढ़ गये। सभी वाहनों को प्राइवेट चालक की व्यवस्था कर थाना- बहरिया दाखिल किया गया। अतः चारों वाहनों के चालकों एवं राजेश यादव उर्फ (राजू टंकी) के विरुद्ध मु0अ0सं0 70/21 धारा 171च/188/269/270 भादवि0 बनाम 1.वाहन संख्या UP65AM 5192 वाहन स्वामी सैयद जरगम हैदर पुत्र अफजल अहमद निवासी शाहपुर दिवानगंज फूलपुर प्रयागराज 2. वाहन संख्या UP70DP9602 वाहन स्वामी तुलसी आख्त सेल्स w/c राजेश कुमार निवासी बीरकाजी थाना फूलपुर प्रयागराज 3. वाहन संख्या UP70AR9456 बोलेरो वाहन स्वामी यशवन्त सिंह पुत्र रामलखन निवासी फतेहगंज तारडीह कनेहटी प्रयागराज 4. वाहन संख्या- UP70U7192 वाहन स्वामी सुभाषचन्द्र पुत्र श्री मुन्नीलाल निवासी दैलापुर कनेहटी थाना बहरिया प्रयागराज 5. राजेश यादव उर्फ (राजू टंकी) पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात व 15 व्यक्ति नाम पता अज्ञात किया गया। वाहनो को MV ACT में सीज किया गया।

अधि0/कर्म0गण का नाम-

1. प्र0नि0 राकेश कुमार
2. उ0नि0 शुभनाथ साहनी
3. हे0का0 राजेश कुमार
4. का0 चन्द्रवीर
5. का0 नन्दलाल
6. का0 जावेद सिद्दिकी
7. म0का0 सुमन यादव



प्रेस नोट थाना - लालापुर, जनपद-प्रयागराज

दिनांक - 11.04.2021

एक नफर जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार



दिनांक 10.04.2021 को श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज महोदय के कुशल निर्देशन में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जिलाबदर/वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाये जा रहे "अभियान" के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक यमुनापार एवं श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बारा महोदय के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष लालापुर व उनकी पुलिस टीम द्वारा मुखबीर खास की मदद से एक नफर जिलाबदर अभियुक्त 1. राजेश कुमार पाण्डेय पुत्र स्व० अल्प नारायण पाण्डेय निवासी ग्राम मझियारी थाना लालापुर जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता -

1. राजेश कुमार पाण्डेय पुत्र स्व० अल्प नारायण पाण्डेय
निवासी ग्राम मझियारी थाना लालापुर जनपद प्रयागराज

माननीय न्यायालय आदेश - वाद संख्या 1586/2015

धारा 3/4 30प्र० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 में मा० न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व जनपद प्रयागराज

पंजीकृत अभियोग -

1. मु०अ०सं० 36/21 धारा 10 30प्र० गुण्डागर्दी नियंत्रण अधि०

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ०नि० बृजेश चौरसिया
2. का० संतोष कुमार मिश्रा
3. का० हरदेश कुमार
4. म०का० शिवानी सिंह





प्रेस नोट थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज दिनांक 11/04/2021



श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रयागराज द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गंगापार के निर्देशन व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सोरांव महोदय के पर्यवेक्षण व मुझ प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.04.2021 को मुखविर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 196/21 धारा 147/148/149/332/333/353/307/394/336/504/506/427/188/269/270/308 भा0द0सं0 व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 7 सीएलए एक्ट में नामजद वांछित अभियुक्तगण 1. शंकर लाल पुत्र सालिकराम निवासी ग्राम अमृक्षलालपुर सपहा थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 45 वर्ष 2. दूधनाथ पुत्र मैकू निवासी ग्राम अहमदपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 65 वर्ष को नोईन्ट्री नवाबगंज से समय करीब 9.55 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. शंकर लाल पुत्र सालिकराम निवासी ग्राम अमृक्षलालपुर सपहा थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 45 वर्ष
2. दूधनाथ पुत्र मैकू निवासी ग्राम अहमदपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 65 वर्ष।

बरामदगी विवरण:

निल

पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 मनोज कुमार पाल चौकी प्रभारी डाड़ी थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।
2. हे0का0 रमाकान्त त्रिपाठी चौकी डाड़ी थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।
3. का0 संदीप कुमार चौकी डाड़ी थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।
4. का0 दिनेश कुमार चौकी डाड़ी थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।

उपरोक्त पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी।



शंकर लाल दूधनाथ



प्रेस नोट
थाना धूमनगंज

जनपद-प्रयागराज दिनांक 11.04.2021



गिरफ्तारी 01 नफर वांछित अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0सं0 1064/2018 धारा 3/5/5ए/8 गो बध निवारण

अधिनयम थाना धूमनगंज, प्रयागराज

श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के कुशल निर्देशन में एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में प्र0नि0 धूमनगंज अनूपम शर्मा के नेतृत्व में दिनांक 11.04.2021 को उ0नि0 दुर्गेश कुमार राय व हमराहियान द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त बब्बू पुत्र स्व0 अब्दुल अहद उर्फ नन्हकू नि0 ग्राम दामूपुर थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज को देवघाट मोड़ के पास से समय करीब 13.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त बब्बू थाना धूमनगंज के मु0अ0सं0 1064/2018 धारा 3/5/5ए/8 गो बध निवारण अधिनयम का वांछित अभियुक्त था। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त बब्बू के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय अग्रेषित किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. बब्बू पुत्र स्व0 अब्दुल अहद उर्फ नन्हकू नि0 ग्राम दामूपुर थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 55 वर्ष।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 दुर्गेश कुमार राय,
2. हे0का0 देवी चरन सिंह।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद प्रयागराज

प्रेस नोट थाना होलागढ जनपद प्रयागराज

(अवैध शराब विक्रिय करते हुए अभि० गिरफ्तार)

श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रयागराज द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गंगापार के निर्देशन व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सोरांव महोदय के पर्यवेक्षण में आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत कार्यवाही के क्रम मे आज थाना होलागढ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम देवराज का पुरा के पास से अवैध देशी कच्ची शराब बेचते हुए अभि०गणो को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से 40 ली० नाजायज शराब बरामद जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर विधिक रूप से कार्यवाही कर अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. विजय बहादुर पटेल पुत्र स्व० जयराम निवासी ग्राम सराय चन्द्रभान उर्फ ओढरा थाना होलागढ प्रयागराज उम्र करीब 50 वर्ष
- 2- रामसजीवन पुत्र स्व० बदल निवासी ग्राम सराय चन्द्रभान उर्फ ओढरा थाना होलागढ प्रयागराज उम्र 57 वर्ष,

बरामदगी विवरण:-

अभि०गण के कब्जे से क्रमशः 20 ली०, 20 ली० कुल 40 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद

पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक तारकेश्वर राय थाना होलागढ जनपद प्रयागराज
2. उ०नि० रविन्द्रनाथ यादव थाना होलागढ जनपद प्रयागराज ।
3. का० अजय पटेल थाना होलागढ जनपद प्रयागराज
4. का० सर्वेश यादव थाना होलागढ जनपद प्रयागराज ।
5. का० कुलदीप चौधरी थाना होलागढ जनपद प्रयागराज ।
6. का० समीर सिंह थाना होलागढ जनपद प्रयागराज

अभियोग का विवरण:-

- क्रमशः 1. 85/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम
2. 86/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम

प्रेस नोट

थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज दिनांक 11.04.2021

श्रीमान पुलिस उय महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक गंगापर महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध प्रयागराज महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सोरांव महोदया द्वारा वांछित अभियुक्त/ वारंटियों व आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत मुखबिर खास की सूचना पर 30नि0 सुमित त्रिपाठी चौकी रामफलझारी थाना मऊआइमा मय हमराही कर्मचारीगणों के द्वारा आज दिनांक 11.04.2021 को समय करीब 01.10 बजे रात्रि मे तीन अभियुक्तगणों को रेलवे फाटक क्रसिंग क्षेत्र रामफलझारी के पास से गिरफ्तार कर उनके पास से नजायज देशी तमंचे व कारतूस बरामद करते हुये अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता -

1. कल्लू पुत्र करीम नि0 खूझी थाना मान्धाता प्रतापगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष
2. आजाद पुत्र करीम नि0 खूझी थाना मान्धाता प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष
3. तहजेब पुत्र मो0 युनूस नि0 हरिहर रामपुर थाना मान्धाता प्रतापगढ़ उम्र करीब 46 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 158/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम कल्लू पुत्र करीम नि0 खूझी थाना मान्धाता प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 159/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आजाद पुत्र करीम नि0 खूझी थाना मान्धाता प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 160/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम तहजेब पुत्र मो0 युनूस नि0 हरिहर रामपुर थाना मान्धाता प्रतापगढ़

बरामदगी का विवरण

1. अभियुक्त कल्लू पुत्र करीम निवासी खूझी थाना मान्धाता प्रतापगढ़ के पास से 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद
2. अभियुक्त आजाद पुत्र करीम निवासी खूझी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ के पास से 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद
3. अभियुक्त तहजेब पुत्र मो0 युनूस नि0 हरिहर रामपुर PS मान्धाता प्रतापगढ़ बताया के पास से 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. 30नि0 सुमित त्रिपाठी IC/OP रामफलझारी
2. 30नि0 संदीप यादव
3. 30नि0 ताराचन्द
4. हे0का0 राजेश सरोज
5. का0 शील कुमार